

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 तारानगर

अनुवान राम स्वरूप बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 639/2025

निर्णय दिनांक31.12.25

राम स्वरूप पुत्र लिछमण राम कुम्हार जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी नेठवा तहसील चूरु जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 तारानगर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 184 के खसरा सं. 16 तादादी 1.6439 है0, खसरा सं. 3 तादादी 0.0759 है0, खसरा सं. 343/4 तादादी 4.3372 है0, खसरा सं. 374/147 तादादी 1.3024 है0, खसरा सं. 6 तादादी 2.7313 है0 एवं खाता संख्या 197 के खसरा सं. 1 तादादी 5.4753 है0 रोही ग्राम नेठवा तथा खाता संख्या 126 के खसरा सं. 243 तादादी 3.0348 है0, खसरा सं. 244 तादादी 2.0738 है0, खसरा सं. 245 तादादी 1.5174 है0, रोही ग्राम झांझणी तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम क्रमशः रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मणराम, रामस्वरूप पुत्र लिछमण तथा रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मणराम दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम राम स्वरूप पुत्र लिछमण राम कुम्हार है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम क्रमशः रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मणराम, रामस्वरूप पुत्र लिछमण तथा रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मणराम दर्ज के स्थान पर राम स्वरूप पुत्र लिछमण राम कुम्हार किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः खाता संख्या 184 के खसरा सं. 16 तादादी 1.6439 है0, खसरा सं. 3 तादादी 0.0759 है0, खसरा सं. 343/4 तादादी 4.3372 है0, खसरा सं. 374/147 तादादी 1.3024 है0, खसरा सं. 6 तादादी 2.7313 है0 एवं खाता संख्या 197 के खसरा सं. 1 तादादी 5.4753 है0 रोही ग्राम नेठवा तथा खाता संख्या 126 के खसरा सं. 243 तादादी 3.0348 है0, खसरा सं. 244 तादादी 2.0738 है0, खसरा सं. 245 तादादी 1.5174 है0, रोही ग्राम झांझणी तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम क्रमशः रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मणराम, रामस्वरूप पुत्र लिछमण तथा रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मणराम दर्ज Delete कर इसके स्थान पर राम स्वरूप पुत्र लिछमण राम कुम्हार अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...31.12.25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 तारानगर में लिखाया जाकर सुनाया गया।



राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)